कांग्रेस का डीएनए आज भी नहीं बदला : अग्रवाल

अजमेर । भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रभारी डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने 1975 में लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने देश की जनता के मौलिक अधिकार छीन लिए थे और लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोंट दिया था। भाजपा आज उसी दिन को 'काला दिवस' के रूप में मना रही है। गुरुवार को अजमेर पहुंचे राधामोहन दास अग्रवाल ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को याद किया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने निकाय प्रमुखों के साथ बैठक कर संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा की। मीडिया से बातचीत में अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अंग्रेज और मुगल बाहरी शासक थे, लेकिन कांग्रेस ने अपने ही देश के लोगों के अधिकारों का हनन किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज गोरे थे और कांग्रेस ने उसी मानसिकता के साथ काम करते हुए 'काले अंग्रेज' की भूमिका निभाई। राज्य मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल पर भाजपा प्रभारी ने कहा कि इस विषय पर मुख्यमंत्री ही बेहतर जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार के बीच होने वाली चर्चाएं आंतरिक विषय हैं ।

ऑनलाइन नई शिक्षा नीति जागरूकता कार्यक्रम शुरु

■ **भारतीय ज्ञान परंपरा और विज्ञान-प्रौद्योगिकी पर विशेषज्ञों ने साझा किए विचार**

अजमेर । आर्यभट्ट इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अजमेर द्वारा मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित आठ दिवसीय ऑनलाइन नई शिक्षा नीति अभिमुखीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम 30 जून 2026 तक आयोजित किया जायेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में देशभर के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से 250 से अधिक शिक्षकों ने सहभागिता की। प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम समन्वयक डॉ. इंद्रप्रीत छाबड़ा तथा सह-समन्वयक उत्सव चौहान कर रहे हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल और मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक प्रो. शिव प्रसाद ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों, भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता तथा उच्च शिक्षा में इसके महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रो. बी.पी. शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रथम तकनीकी सत्र में प्रो. बी.पी. शर्मा ने 'प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी' विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने आधुनिक प्रबंधन और तकनीकी दृष्टिकोण के साथ प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ते हुए विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विषय को समझाया। उन्होंने भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों, नवाचार परंपरा तथा ज्ञान प्रणाली को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया, जिससे प्रतिभागियों को विषय की गहराई समझने का अवसर मिला। द्वितीय तकनीकी सत्र में आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बीकानेर के डॉ. भरत कुमार जाजरा ने 'खगोल विज्ञान, पंचांग विज्ञान एवं समय गणना प्रणालियों में भारतीय ज्ञान परंपरा का योगदान' विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने प्राचीन भारत में राशियों की गणना, पंचांग निर्माण, समय निर्धारण, ऋतु चक्र और कैलेंडर विज्ञान के वैज्ञानिक आधारों की जानकारी दी। साथ ही सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग की अवधियों तथा उनके पीछे निहित वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला।

नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर सिंह राठौड़ का अभिनंदन

अजमेर (कासं)। संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी कार्यालय, अजमेर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (विद्यालय शाखा) के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष भँवर सिंह राठौड़ के सम्मान में भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों, शिक्षकों तथा मंत्रालयिक कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। समारोह के दौरान संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी प्रेमराज वर्मा ने माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर भँवर सिंह राठौड का स्वागत किया। उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन किया। जिला संगठन मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने संगठन की कार्यप्रणाली, उद्देश्यों तथा आगामी शैक्षिणक एवं संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी दी। अपने संबोधन में भँवर सिंह राठौड ने केंद्रीय एवं प्रांतीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। हुए कहा कि वे संस्कृत शिक्षा विभाग की गरिमा को बढ़ाने तथा शिक्षक एवं कर्मचारी वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे।

निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर 28 को

अजमेर । यूनिवर्सल ब्रदरहुड माह के अंतर्गत लॉज फ्रेंडशिप नम्बर 47, अजमेर की ओर से रविवार 28 जून 2026 को नि:शुल्क दंत एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर प्रात: 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मानसरोवर कॉलोनी स्थित डॉ. विक्रम डेंटल केयर में आयोजित होगा। वर्शिपफुल मास्टर गजेन्द्र पंचोली और सचिव जय के. करणा ने बताया कि शिविर में डॉ. विक्रम डाबी, डॉ. आशीष, डॉ. श्रुति तथा सामान्य चिकित्सक डॉ. सुधोष अपनी सेवाएं देंगे। शिविर में दांतों की जांच, डिजिटल दंत एक्स-रे, दांतों की सफाई, कैविटी, पायरिया, रूट कैनाल, कृत्रिम दांत, दंत प्रत्यारोपण संबंधी परामर्श तथा उपचार संबंधी जानकारी निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही रक्तचाप और रक्त शर्करा की जांच भी नि:शुल्क की जाएगी। आयोजकों ने बताया कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड माह के अंतर्गत आयोजित सभी सेवा प्रकल्प वरिष्ठ सदस्य के.के. गौर और आनंद शर्मा के मार्गदर्शन में संचालित किए जा रहे हैं। महावीर इंटरनेशनल रीजन-3 के उपनिदेशक (प्रचार-प्रसार) कमल गंगवाल ने इस पहल की सराहना की।

अग्निवीरों का भव्य स्वागत

मसूदा । ग्राम पंचायत शेरगढ के निवासी देवाराम अग्निवीर के छह माह का प्रशिक्षण पूरा कर घर लौटने पर ठामीणों ने भव्य स्वागत किया। समाजसेवी अजीत सिंह ने उन्हें पुष्पमाला एवं आकर्षक फोटो प्रसेम भेंट कर सम्मानित किया। स्वागत समारोह में बडी संख्या में ग्रामीणों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की। कार्यक्रम प्रेम, सम्मान और सेवा भावना का उदाहरण बनकर सामने आया। उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए अग्निवीरों के योगदान को प्रेरणादायी बताया। मसूदा उपखंड क्षेत्र में प्रशिक्षण पूर्ण कर लौटे अग्निवीरों का विभिन्न स्थानों पर साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर देशभक्ति गीतों के साथ रैली निकाली गई ।

NAME CHANGE

I SHAHIDA BANU is Wife of Army No. 2702581A Rank-HAV Name- ABDUL RAJJAK Serving in Indian Army That I have changed my Name in my Husband Army service record from SHAHIDA BANU to SHAHIDA BANO Vide Affidavit No. CH 906156 Before Court Nasirabad

दिनांक : 23.06.2026

आम सूचना

सूचित हो कि मेरे पक्षकार अजीत सिंह यादव पुत्र स्व० मायाराम, निवासी 716-ए, तीसरी गली, बिहारीगंज, अजमेर के स्वामित्व की सम्पत्ति एएमसी नं. 128ए/10 नया व 38/3 पुराना, सिविल लाईन्स अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1071 वर्गगज है, मेरे पक्षकार नें सम्पत्ति पर एस.बी.आई. माखुपुरा अजमेर से ऋण ले रखा है। मेरे पक्षकार की उक्त सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण, अनाधिकृत कब्जा या कोई बाधा अडचन उत्पन्न करता है तो मेरे पक्षकार को उसके विरूद्ध सक्षम पुलिस थाना, न्यायालय मे कानूनी कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

अधिवक्ता अनिल भटनागर, एडवोकेट
मो. 9460895089

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक- न.प.कि/कृषि भूमि नियमन/2026/613 आम सूचना दिनांक : 25.06.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में निम्न भूखण्ड का वितरण राजस्व ग्राम फरासिया के खसरा नम्बर 78/20 के क्षेत्रफल 24443.00 वर्गमीटर में से 19683.00 वर्गमीटर भूमि का मोटल प्रयोजनार्थ पट्टा चाहने हेतु कृषि भूमि नियमन प्रकरण विचाराधीन है। अतः निम्न खसरा नम्बर के भूखण्ड नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्तियां/कारण/विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें।

प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं	क्षेत्रफल रकबा भूखण्ड संख्या	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1. श्री भागीरथ चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र चौधरी 2. श्री सुभाष चौधरी पुत्र श्री भागीरथ चौधरी 3. श्री राजेश चौधरी पुत्र श्री भागीरथ चौधरी निवासी चक्की की गली चोयल हाउस शांति नगर अजमेर बाईपास रोड मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज.	मदनगंज खसरा 78/20	19683.0 वर्गमीटर	मोटल प्रयोजनार्थ

आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ़ ।

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा जिला - भीलवाडा (राजस्थान)

भीलवाड़ा रोड रोडवेज बस स्टैण्ड के पास
E-Mail ID-eombgbp@yahoo.in npbgulabpura@gmail.com Telephone No. 01483-223079

क्रमांक/नपागु/कृषि भूमि/2026/242-244 दिनांक 25/6/2026

आपत्ति सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नामान्तरण/निमार्ण स्वीकृति/कृषि भूमि नियमन के तहत् निम्नानुसार आवेदन प्राप्त हुए है जिसके निस्तारण किए जाने में किसी आम-खास/संस्था आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद 07 दिवस में लिखित रूप से आपत्तिकर्ता मय अपने दस्तावेजो के इस कार्यालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। बाद मियाद आवेदक (अन्तिम क्रेता) के पक्ष में नियमन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन क्रमांक व दिनांक	नाम आवेदक	भूखण्ड संख्या	साईज	क्षेत्रफल (वर्गगज)	कॉलोनी व भूखण्ड के पडौस	फाईल का प्रकार
1	388790 24.06.2026	श्री इस्माईल रंगरेज/सुल्तान मोहम्मद	A-93	25X40	111.11	पूर्व – आम रास्ता 20 फीट स्थित; पश्चिम– भूखण्ड संख्या–77 स्थित; उत्तर– भूखण्ड संख्या–94 स्थित; दक्षिण– भूखण्ड संख्या–92 स्थित	कृषि भूमि
2.	388748 24.06.2026	श्री इस्माईल रंगरेज/सुल्तान मोहम्मद	A-94	25X40	111.11	पूर्व – आम रास्ता 20 फीट स्थित; पश्चिम– भूखण्ड संख्या–78 स्थित; उत्तर– भूखण्ड संख्या–95 स्थित; दक्षिण– भूखण्ड संख्या–93 स्थित	कृषि भूमि
3	388770 24.06.2026	श्री इस्माईल रंगरेज/सुल्तान मोहम्मद	A-95	25X40	111.11	पूर्व – आम रास्ता 20 फीट स्थित; पश्चिम– भूखण्ड संख्या–79 स्थित; उत्तर– आम रास्ता 25 फीट स्थित; दक्षिण– भूखण्ड संख्या–94 स्थित	कृषि भूमि

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका गुलाबपुरा

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

झलकारी बाई पंचशील नगर अजमेर (राज.) 300501
दूरभाष- 0145-2429953, फैक्स - 0145-2433813, Email- ajmermc@gmail.com,web.https://urban.rajasthan.gov.in/mcajmer

क्रमांक / न.नि.अ / 69क / 2026-27/18 दिनांक 25/06/2026

आपत्ति सूचना

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपल का कुआं अजमेर जरिये प्रधानाचार्य श्रीमती मनीषा सम्मरवार पुत्री श्री रामस्वरूप साम्मरवार निवासी 65/32 लक्ष्मण चौक जादूघर अजमेर द्वारा प्रस्तावित स्थल राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय पीपल का कुआं अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1480.46 वर्गमीटर है का नगर निगम अजमेर में धारा 69-ए के तहत् आवेदन शैक्षणिक हेतु प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएँ निम्नानुसार है ।

पूर्व :- 14.3 फिट चोडी रोड — पश्चिम :- धोला भाटा मेन रोड
उत्तर :- चतुर्भुज की सम्पति — दक्षिण :- निजी सम्पति

अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति / संस्था के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 69 - ए के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के नगर निगम के पक्ष में भूमि के अधिकार अभ्यर्पण करने के अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप / आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के अन्दर अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी भी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप / आपत्ती नहीं है । बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा ।

उपायुक्त (विकास) नगर निगम, अजमेर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक : 438 जाहिर आम सूचना दिनांक 25.6.26

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 3 / 20, पंचशील, अजमेर क्षेत्रफल 120.00 वर्ग मीटर मूल आवंटी श्रीमती निर्मला सामयानी पत्नि श्री ईश्वर सामयानी को आवंटित कर दिनांक 27.11.2000 को आवास का भौतिक कब्जा सौपा गया था । श्रीमती निर्मला सामयानी पत्नि श्री ईश्वर सामयानी द्वारा दिनांक 28.02.2001 को आवास का पंजीयन करवा लिया गया। पंजीयन पश्चात् श्रीमती निर्मला सामयानी पत्नि श्री ईश्वर सामयानी द्वारा श्री विजय प्रधानी पुत्र स्व. श्री आयल दास प्रधानी के पक्ष में मुख्त्यार आम निष्पादित किया गया। मुख्त्यार आम के आधार पर श्री विजय प्रधानी पुत्र स्व. श्री आयल दास प्रधानी द्वारा आवास का बैचान श्रीमती माल बोस पत्नि स्व. श्री अचिन कुमार बोस व श्रीमती अमिता बोस पत्नि श्री शैलेश बोस को दिनांक 02.11.2011 कर दिया गया। जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 1745 में पृष्ठ संख्या 59 क्रम संख्या 2011004725 पर पंजीबद्ध किया गया । तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 3973 के पृष्ठ संख्या 57 से 67 पर दिनांक 02.11.2011 को चस्पा किया गया है। अब श्रीमती माल बोस व श्रीमती अमिता बोस ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमती माल बोस व श्रीमती अमिता बोस का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अत: उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपत्ति मय सबूत एवं पहवान दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी ।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड - अजमेर

कार्यालय ग्राम पंचायत काशीर पंचायत समिति अरांई , जिला-अजमेर(राज.)

क्रमांक : ग्रा.प.का./2026-27/52 सार्वजनिक आपति आमंत्रण सूचना दिनांक : 25.06.2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत काशीर में नियम 157 (i),(ii),158, 167 के तहत निम्न आवेदन आवासीय पट्टा जारी करने के लिए प्राप्त हुए है । ग्राम पंचायत की बैठक निर्णयानुसार पट्टा प्रक्रिया के दौरान राज. पंचायत राज नियम 146 के अन्तर्गत आपत्ति आमंत्रित की जाती है यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था/राजस्व विभाग/गैर सरकारी संस्था को आपत्ति हो तो आपत्ति मय सबूत दस्तावेज लेकर ग्राम पंचायत काशीर कार्यालय में 07(सात) दिवस के भीतर उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा बाद मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा एवं आवेदनकर्ता को पट्टे जारी कर दिये जायेंगे। अतः सभी सूचित रहे।

क्र.सं.	आवेदक का नाम/पति/पिता	जाति	ग्राम	आस-पड़ौस का विवरण
1	श्री प्रधान/देवकरण जाट	जाट	खरवड़	मिसलानुसार
2	श्री रामराज/देवकरण जाट	जाट	खरवड़	मिसलानुसार
3	श्री हनुमान जाट/नारायण जाट	जाट	खरवड़	मिसलानुसार
4	श्री दिनेश चौधरी/नारायण चौधरी	जाट	खरवड़	मिसलानुसार
5	श्री रामसिंह चौधरी/गोपाल लाल चौधरी	जाट	खरवड़	मिसलानुसार
6	श्री शिवदान,राजू लाल चौधरी/हगामी लाल	जाट	खरवड़	मिसलानुसार
7	श्री शिवदान,राजू लाल चौधरी/हगामी लाल	जाट	खरवड़	मिसलानुसार
8	श्री रतना जाट/छगना जाट	जाट	खरवड़	मिसलानुसार
9	श्री बबलू सिंह/फोज सिंह	राजपूत	खरवड़	मिसलानुसार
10	श्रीमती भंवर कंवर/भंवर सिंह	राजपूत	खरवड़	मिसलानुसार
11	श्रीमती सीमा कंवर/राजेश सिंह	राजपूत	खरवड़	मिसलानुसार
12	श्री राजेन्द्र सिंह/शक्ति सिंह	राजपूत	खरवड़	मिसलानुसार
13	श्री धनराज चौधरी/नन्दाराम चौधरी	जाट	बंथली	मिसलानुसार
14	श्रीमती हेमा/गणेश	गुर्जर	बंथली	मिसलानुसार
15	श्रीमती समोदरा/रामकुंवार	जाट	बंथली	मिसलानुसार
16	श्री छोटू/रामदेव	जाट	बंथली	मिसलानुसार
17	श्री प्रधान/नन्दा	जाट	बंथली	मिसलानुसार
18	श्रीमती संतरा/सत्यनारायण	जाट	बंथली	मिसलानुसार
19	श्री जवान मल जाट/नन्दाराम जाट	जाट	बंथली	मिसलानुसार
20	श्रीमती गोपाली/शिवजीराम	जाट	बंथली	मिसलानुसार
21	श्री जसराज चौधरी/जगदीश जाट	जाट	बंथली	मिसलानुसार
22	श्री बसराम/पांचू	जाट	बंथली	मिसलानुसार
23	श्री गोपाल नाथ/हजारीनाथ	जोगी	बंथली	मिसलानुसार
24	श्री शिवचरण चौधरी/रामधन चौधरी	जाट	बंथली	मिसलानुसार
25	श्री हरिराम जाट/भंवरलाल जाट	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
26	श्री प्रधान लाल जाट/दशरथ जाट	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
27	श्री रामदेव/हरचन्द	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
28	श्री जगदीश प्रसाद चौधरी/दयाराम चौधरी	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
29	श्री रामचरण जाट,प्रधान जाट/सुगना जाट	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
30	श्री रामचरण जाट,प्रधान जाट/सुगना जाट	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
31	श्रीमती सुप्यार/हरकरण	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
32	श्रीमती सुप्यार/हरकरण	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
33	श्री सांवरलाल/हगामीलाल	बैरवा	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
34	श्री रतन/जस्सा	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
35	श्री भागचन्द जाट/किशन जाट	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
36	श्री रामेश्वर/गोरधन	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
37	श्रीमती प्रेम देवी/रामेश्वर	जाट	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
38	श्री वकील/गोपाल	बैरवा	श्रीरामपुरा	मिसलानुसार
39	श्री हनुमान जोगी/रतननाथ	जोगी	बंथली	मिसलानुसार
40	श्री हनुमान/रामदेव	बलाई	बंथली	मिसलानुसार
41	श्री ओमप्रकाश/सुवालाल	कुम्हार	खरवड़	मिसलानुसार
42	श्री सत्यनारायण/रामदेव	जाट	खरवड़	मिसलानुसार
43	श्री रामेश्वर/ उगमा बलाई	बलाई	काशीर	मिसलानुसार
44	श्री राजकुमार/कैलाशचन्द	जाट	काशीर	मिसलानुसार
45	श्री जगदीश/रामनाथ	जाट	काशीर	मिसलानुसार
46	श्री पूसानाथ/गोदूनाथ	जोगी	काशीर	मिसलानुसार
47	श्री नाथूलाल जाट/बलदेव जाट	जाट	काशीर	मिसलानुसार
48	श्री कालू राम जाट/सुगना जाट	जाट	काशीर	मिसलानुसार
49	श्रीमतीसंतोष/गणेश बैरवा	बैरवा	काशीर	मिसलानुसार
50	श्रीमती प्रेम देवी/नारायण	बैरवा	काशीर	मिसलानुसार
51	श्री श्रवण लाल जाट/छितरमल जाट	जाट	काशीर	मिसलानुसार
52	श्री रामसिंह चौधरी/छितरमल जाट	जाट	काशीर	मिसलानुसार
53	श्री हाथीराम/बना जाट	जाट	खरवड़	मिसलानुसार

नोट- उपरोक्त सुचीनुसार यदि पूर्व में किसी स्तर से कोई पट्टा जारी हो किसी प्रकार का आपसी भाई बंटवार और विवाद हो या किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन हो या किसी भी पड़ौसी व्यक्ति,संस्था, सरकारी विभाग को उपरोक्त सूची के आवेदनकर्ताओं के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो आपत्ति होने की तारीख से 07 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय में आपत्ति मय दस्तावेज प्रस्तुत करें। बाद मियाद किसी भी कार्यवाही के लिए ग्राम पंचायत जिम्मेदार नहीं रहेगी और न ही किसी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यदि पूर्व में पट्टे पर पट्टा जारी होने पाया जाता है तो पूर्व में जारी पट्टा स्वत: ही निरस्त समझा जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी पट्टाधारी की होगी एवं पट्टाधारक कानूनी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होगा एवं समस्त जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की होगी। अतः सूचित रहे।

प्रशासक
ग्राम पंचायत काशीर,
पं.स.अराई, जिला अजमेर

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत काशीर,
पं.स.अराई, जिला अजमेर

आम सूचना

मेरे पिता गोपाल उर्फ गोपालकृष्ण शर्मा पुत्र धन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दादिया की मृत्यु दिनांक 1.1.1989 को मेरे निवास स्थान ग्राम दादिया में हो गई थी, जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत दादिया में नहीं करवाया था। अब में मेरे पिता गोपाल उर्फ गोपालकृष्ण शर्मा का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अराई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बावत जिस किसी व्यक्ति को आपति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद कोई भी आपति स्वीकार नहीं होगी।

प्रार्थी-राजेन्द्र पुत्र गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दादिया तह. अराई (अजमेर)

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

लोक सूचना

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि श्री चिराग गोयल पुत्र दिनेश कुमार गोयल की ग्राम लोहागल के खसरा नम्बर 1000 भूखण्ड संख्या 79 में क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज अर्थात् 185.80 वर्ग मीटर के भूखण्ड की पत्रावली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमन के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है। अत: किसी भी हितबद्धकारी को इस नियमन के सम्बन्ध में आपत्ति हो तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा नियमन कार्यवाही कर दी जायेगी।

उपायुक्त (उत्तर) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

Tel. No. : 01462-258665, 257509 E-mail Id: npbeawar@gmail.com
क्रमांक :69A/2206-27/3517 दिनांक : 24/6/2026

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री भवर लाल जी शर्मा निवासी नरसिंहपुरा, ब्यावर ने 69 ए के तहत आवेदन प्रस्तुत कर नगर परिषद ब्यावर की सीमा में स्थित जायदाद खसरा नं. 641/286 नरसिंहपुरा, ब्यावर क्षेत्रफल 45.45 वर्गमीटर का आवासीय पट्टा लेने बाबत् आवेदन किया है। अत: उपरोक्त को आवासीय पट्टा विलेख जारी किये जाने के सम्बन्ध में किसी को आपति हो तो मय साक्ष्य के 07 दिवस के अन्दर-अन्दर आपति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा बाद मियाद आपति विचारणीय नहीं होगी ।

आयुक्त नगर परिषद ब्यावर

अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

लोक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती नवल कँवर पत्नि रणजीत सिंह की ग्राम लोहागल (देव नगर अजमेर) के खसरा न 1116 भूखण्ड सख्या 194 में क्षेत्रफल 116.66 वर्गगज के भूखण्ड की पत्रावली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है उक्त नियमन के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है अत किसी भी हितबद्धकारी को इस नियमन के सम्बन्ध में आपत्ति हो तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा नियमन कार्यवाही कर दी जायेगी।

उपायुक्त उत्तर अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5 दीवानी प्रक्रिया संहिता,1908)
न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी
वाद पत्र क्रमांक- 51/2026
कमल कुमार बनाम बलवीरसिंह वर्गे.

प्रेषित बनाम-बलवीरसिंह पुत्र मदनसिंह, मन्जु कंवर पत्नी रघुवीर सिंह जाति जाति राजपूत, कानाराम पुत्र नन्दाराम जाति कुमावत सभी निवासी आसपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज.)

वादी ने आपके विरुद्ध 53, 88, व 188 R.T.Act का एक वाद इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो इस न्यायालय में पंजीबद्ध कर लिया गया है और इस वाद में किये गए दावे का उत्तर देने के लिये आपकी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28/07/2026 की पेशी नियत की गई है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाव से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बतायी गयी तारिख पेशी पर न्यायालय में उप-राजात नहीं होते है तो याद की सुनवाई व उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा यह नोटिस मेरे हस्ताक्षर/मेरे निर्देशानुसार व न्यायालय की मुहर से आज दिनाक 23/06/2026 को जारी किया गया।

-आदेशानुसार- रीडर उपखंड अधिकारी, कुचामन सिटी (डीडवनान-कुचामन)

कार्यालय नगर निगम अजमेर

क्रमांक : न.नि.अ./भवन/26-27/102 आपत्ति सूचना दिनांक : 24/06/2026

श्री हरिओम मित्तल पुत्र श्री वासुदेव मित्तल निवासी 11 / 101 ब्रह्मपुरी कचहरी रोड अजमेर एवं श्री कन्हैया मित्तल पुत्र श्री वासुदेव मित्तल निवासी 11 / 97 विजय लक्ष्मी ब्रह्मपुरी कचहरी रोड अजमेर द्वारा एक भूखण्ड संख्या बी-25 जो अजमेर विकास प्राधिकरण (पूर्व में नगर सुधार न्यास) अजमेर की वैशाली नगर योजना बी-ब्लॉक अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 250.00 व.मी. है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है । प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएँ निम्नानुसार है।

पूर्व : आवासीय भूखण्ड संख्या बी-24 — पश्चिम :- आवासीय भूखण्ड संख्या बी-26
उत्तर : मुख्य रास्ता (आम सड़क) — दक्षिण : भूखण्ड संख्या बी - 31 व बी-32

अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/ संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त, नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांक : न.पा.बि./नामा / 2026 /1278 -आम सूचना - दिनांक : 16.6.26

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान व प्लाट गृहकर पंजिका में अन्तरण हेतु निम्न विरासत पत्रावली प्राप्त हुई है। अगर किसी को आपति / उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है, बाद मियाद गुजरने पर कोई उज्र / आपति मान्य नहीं होगी।

नामान्तरण

फाईल नं.	आवेदक नाम	मूल आवंटी/नामान्तरण	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	प्रयोजनार्थ
77	1. पवन कुमार जैन पुत्र तेजराज 2 अनिल कुमार पुत्र तेजराज	चन्द्रेश देवी पत्नी तेजराम जैन	कन्हैया कॉलोनी राजस्व ग्राम बिजयनगर ख.सं. 71 से 78, 88, 89 मिन 90 मिन भू.सं. 55 व 56 का उत्तरी हिस्सा	183.33 SQ.Yard	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांक -न.प.बि/निर्माण स्वी./2024/1520 आम सूचना दिनांक : 24.6.2026

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान निर्माण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपति/उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस मे मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है, बाद मियाद, गुजरने पर कोई उज्र / आपत्ति मान्य नहीं होगी।

भवन निर्माण

फाइल नं.	आवेदनकर्ता का नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	प्रयोजनार्थ
50	बिंदु जैन पत्नी जितेन्द्र कुमार जैन	महावीर कॉलोनी (मानसिंह का) बरल द्वितीय ख.सं. 1086/1 भू.सं. 85	125.40 SQ.MTR	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक- न.प.कि/कृषि भूमि नियमन/2026/731 आम सूचना दिनांक : 24.06.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा 89 का भूखण्ड संख्या 04 का कुल क्षेत्रफल 183.00 वर्गगज (आवासीय प्रयोजनार्थ) हेतु पट्टा चाहनें हेतु कृषि भूमि नियमन के तहत् आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदित भूखण्ड नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपत्तियां/मय साक्ष्य / विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें ।

क. सं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं व क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1.	श्री रेखा कुमारी पत्नी श्री गोविन्द चौधरी निवासी एकता नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर	मदनगंज खसरा 89 183.00 वर्गगज	(आवासीय प्रयोजनार्थ) पट्टा चाहने हेतु

आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ़ ।

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक- न.प.कि/कृषि भूमि नियमन/2026/721 आम सूचना दिनांक : 22.06.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा 725 का भूखण्ड संख्या .... का कुल क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज (आवासीय प्रयोजनार्थ) हेतु पट्टा चाहनें हेतु कृषि भूमि नियमन के तहत् आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदित भूखण्ड के नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/ संस्था को कोई आपत्ति होतो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित मे आपत्तियां / मय साक्ष्य / विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें।

क. सं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं व क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1.	श्रीमती न्यामत बेगम पत्नी श्री असलम अली छीपा निवासी साईनाथ स्कूल के पास, नाथी का जाव गांधी नगर मदनगंज-किशनगढ़	मदनगंज खसरा 725 200.00 वर्गगज	(आवासीय प्रयोजनार्थ) पट्टा चाहने हेतु

आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ़ ।

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक- न.प.कि/कृषि भूमि नियमन/2026/716 आम सूचना दिनांक : 24.06.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा 89 का भूखण्ड संख्या 03 का कुल क्षेत्रफल 91.66 वर्गगज (आवासीय प्रयोजनार्थ) हेतु पट्टा चाहनें हेतु कृषि भूमि नियमन के तहत् आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदित भूखण्ड के नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/ संस्था को कोई आपत्ति होतो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित मे आपत्तियां / मय साक्ष्य / विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें।

क. सं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं व क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1.	श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री गिरधारी चौधरी निवासी मदनगंज-किशनगढ़	मदनगंज खसरा 89 91.66 वर्गगज	(आवासीय प्रयोजनार्थ) पट्टा चाहने हेतु

आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ़ ।

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक- न.प.कि/कृषि भूमि नियमन/2026/707 आम सूचना दिनांक : 24.06.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा 49 का भूखण्ड संख्या सी-05 का कुल क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज (आवासीय प्रयोजनार्थ) हेतु पट्टा चाहनें हेतु कृषि भूमि नियमन के तहत् आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदित भूखण्ड नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपत्तियां/मय साक्ष्य / विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें ।

क. सं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं व क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1.	श्रीमती छोटी देवी पत्नी श्री बद्री प्रसाद सैनी निवासी नंदगांव कॉलोनी, निवारू रोड झोटवाडा, जयपुर राज.	मदनगंज खसरा 49 200.00 वर्गगज	(आवासीय प्रयोजनार्थ) पट्टा चाहने हेतु

आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ़ ।

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक- न.प.कि/कृषि भूमि नियमन/2026/610 आम सूचना दिनांक : 25.06.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में निम्न भूखण्ड का वितरण राजस्व ग्राम फरासिया के खसरा नम्बर 78/20 के क्षेत्रफल 24443.00 वर्गमीटर में से 1852.00 वर्गमीटर भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा चाहनें हेतु कृषि भूमि नियमन प्रकरण विचाराधीन है। अतः निम्न खसरा नम्बर के भूखण्ड नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्तियां/कारण/विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें।

प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं	क्षेत्रफल रकबा भूखण्ड संख्या	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1. श्री भागीरथ चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र चौधरी 2. श्री सुभाष चौधरी पुत्र श्री भागीरथ चौधरी 3. श्री राजेश चौधरी पुत्र भागीरथ चौधरी निवासी चक्की की गली चोयल हाउस शांति नगर अजमेर बाईपास रोड मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज.	मदनगंज खसरा 78/20	1852.0 वर्गमीटर	वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ़ ।

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक : 414 जाहिर आम सूचना दिनांक 24.6.26

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 3 / 97 पंचशील, अजमेर क्षेत्रफल 92.25 व.मी. मूल आवंटी श्री अशोक कुमार पाराशर पुत्र स्व. श्री रामनिवास पाराशर को आवंटित कर दिनांक 09.07.2009 को आवास का भौतिक कब्जा सौपा गया था। श्री अशोक कुमार पाराशर पुत्र स्व. श्री रामनिवास पाराशर द्वारा दिनांक 28.08.2009 को उक्त आवास का पंजीयन करवा लिया गया। श्री अशोक कुमार पाराशर की मृत्यु दिनांक 17.07.2021 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री चन्द्र शेखर पाराशर पुत्र स्व. श्री अशोक कुमार पाराशर द्वारा मृत्यु पश्चात् आवास हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। श्री चन्द्र शेखर पाराशर के पक्ष में श्रीमती अंजू पाराशर पत्नी स्व. श्री अशोक कुमार पाराशर, श्रीमती अंतिमा पाराशर पुत्री स्व. श्री अशोक कुमार पाराशर एवं पत्नी श्री अंकित पाराशर एवं श्री पंकज पाराशर पुत्र स्व. श्री अशोक कुमार पाराशर द्वारा रजिस्टर्ड हक-त्याग पत्र प्रस्तुत किया गया है। अब श्री चन्द्र शेखर पाराशर पुत्र स्व. श्री अशोक कुमार पाराशर उक्त आवास से संबंधित मृत्यु हस्तान्तरण प्रपत्र प्रस्तुत कर स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्री चन्द्र शेखर पाराशर पुत्र स्व. श्री अशोक कुमार पाराशर का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अत: उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपत्ति मय सबूत एवं पहवान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी ।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड - अजमेर

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा (राज.)

प्ररूप-10 (नियम 6(7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा

क्रमांक : न.पा.गु./भूमि/2026/235-238 लोक सूचना दिनांक : 25.06.2026

श्री प्रहलादराय राठी पुत्र श्री जंसूलाल राठी निवासी गुलाबपुरा तहसील हुरडा निवासी गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

जिले सहित	तहसील का नाम	ग्राम का नाम खसरा सं.	क्षेत्र
भीलवाड़ा	हुरडा	राजस्व ग्राम गुलाबपुरा-द्वितीय खसरा संख्या -1610	कुल क्षेत्रफल 2655.50 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... को जारी की गयी ।

प्राधिकारी अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका गुलाबपुरा

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा (राज.)

प्ररूप-10 (नियम 6(7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा

क्रमांक : न.पा.गु./भूमि/2026/225-229 लोक सूचना दिनांक : 23.06.2026

सुश्री रिया तोषनीवाल पुत्री श्री दिनेश तोषनीवाल निवासी गुलाबपुरा तहसील हुरडा निवासी गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

जिले सहित	तहसील का नाम	ग्राम का नाम खसरा सं.	क्षेत्र
भीलवाड़ा	हुरडा	राजस्व ग्राम गुलाबपुरा-द्वितीय खसरा संख्या -1614	कुल क्षेत्रफल 728.00 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... को जारी की गयी ।

प्राधिकारी अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका गुलाबपुरा

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नियमन/2025-26/255 लोक सूचना दिनांक : 24.06.2026

निम्नांकित खातेदारों ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

क्र.सं	आवेदक का नाम	ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1.	राकेश यादव पुत्र हरी सिंह यादव हिस्सा पूर्ण जाति अहीर (यादव) सा. देलवांडा रोड, ब्यावर खातेदार।	नयानगर	2569/201	0.0242 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 24.6.26 को जारी की गयी ।

प्राधिकारी अधिकारी नगर परिषद ब्यावर

कार्यालय नगर परिषद, पुष्कर जिला अजमेर राजस्थान

क्रमांक-नपपु/भूमि/2026/87 लोक सूचना दिनांक: 25.6.2026

निम्न आवेदक ने अपनी वसीयत / क्रयशुदा / बख्शीसशुदा / आवंटित / पट्टेशुदा सम्पत्ति के नामान्तरण हेतु नगर परिषद पुष्कर में आवेदन किया है जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था इत्यादि को उक्त कार्यवाही में कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर ठोस सबूत मय दस्तावेज के आधार पर नगर परिषद पुष्कर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं परिषद द्वारा अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।

क्र.सं.	आवेदनकर्ता का नाम मय पिता/पति	स्थान	चतुर्थ सीमा	
1	श्रीमती तृप्ति पाराशर पत्नी श्री अजय पाराशर	प्लाट नं. 43 क्षेत्रफल 183.33 वर्गगज, ब्रह्मा नगर गनाहेड़ा पुष्कर	पूर्व -प्लाट 44; पश्चिम - रास्ता	उत्तर - प्लाट नं. 42; दक्षिण - अन्य भूमि
2	श्रीमती तृप्ति पाराशर पत्नी श्री अजय पाराशर	प्लाट नं. 44 क्षेत्रफल 174.48 वर्गगज, ब्रह्मा नगर गनाहेड़ा पुष्कर	पूर्व - रास्ता; पश्चिम - प्लाट नं. 43	उत्तर - प्लाट नं. 45; दक्षिण - अन्य भूमि
3.	श्री अजय पाराशर पुत्र श्री पुष्कर नारायण मिश्र	प्लाट नं. 45 क्षेत्रफल 183.33 वर्गगज, ब्रह्मा नगर गनाहेड़ा पुष्कर	पूर्व - रास्ता; पश्चिम -प्लाट नं. 42	उत्तर - प्लाट नं. 46; दक्षिण - प्लाट नं. 44
4.	श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल	प्लाट नं. 46 क्षेत्रफल 183.33 वर्गगज, ब्रह्मा नगर गनाहेड़ा पुष्कर	पूर्व - रास्ता; पश्चिम -प्लाट नं. 41	उत्तर - प्लाट नं. 47, 48; दक्षिण - प्लाट नं. 45
5.	श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल	प्लाट नं. 48 क्षेत्रफल 183.33 वर्गगज, ब्रह्मा नगर गनाहेड़ा पुष्कर	पूर्व - रास्ता; पश्चिम -प्लाट नं. 47	उत्तर - रास्ता; दक्षिण - प्लाट नं. 46

आयुक्त
नगर परिषद पुष्कर